भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-5347
दिनांक 03 अप्रैल 2025 को उत्तरार्थ

कार्बन बाजार का विकासशील ढांचा

5347: श्री जशुभाई भिलुभाई राठवा:
श्री दामोदर अग्रवाल:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में उभरते कार्बन बाजार ढांचे में धोखाधड़ी वाले कार्बन क्रेडिट लेनदेन को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या विशेष उपाय किए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार वर्ष 2027 और 2030 के बीच निर्धारित कार्बन कटौती लक्ष्यों के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करने के लिए कोई योजना बना रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) निजी क्षेत्र में कार्बन कटौती लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या तंत्र स्थापित किए जा रहे हैं; और

(ङ) 'प्रकृति 2025' में चर्चा की गई अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखे गए सबक को भारत के जलवायु नीति ढांचे में एकीकृत करने की सरकार की क्या योजना है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : जून, 2023 में अधिसूचित (संशोधित) कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (सीसीटीएस) के अनुसार, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया भारतीय कार्बन बाजार के लिए रजिस्ट्री है। भारतीय कार्बन बाजार में धोखाधड़ी वाले कार्बन क्रेडिट लेनदेन को रोकने के लिए, भारतीय कार्बन बाजार के लिए रजिस्ट्री को सौंपे गए कार्यों में सुरक्षित डेटा बेस और सभी लेनदेन के रिकॉर्ड बनाए रखना शामिल है। यह रजिस्ट्री भारत के लिए मेटा-रजिस्ट्री भी है।

(ख), (ग) : वर्तमान में, सीसीटीएस के अंतर्गत ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन गहनता (जीईआई) लक्ष्यों का अनिवार्य अनुपालन केवल कुछ उत्सर्जन गहन उद्योगों को कवर करता है, जिन्हें "बाध्यकारी संस्थाओं" के रूप में नामित किया गया है। ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन गहनता (जीईआई) लक्ष्य केवल उन बाध्यकारी संस्थाओं को दिए जाते हैं

जिनकी वार्षिक ऊर्जा खपत कुछ सीमाओं से अधिक है। इसके अलावा, विभिन्न बाध्यकारी संस्थाओं के लिए जीईआई लक्ष्यों को अंतिम रूप देते समय, बाध्यकारी संस्थाओं की यूनिट में संभावित तकनीकी उपायों की सीमांत कमी लागत को ध्यान में रखा जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी संस्थाओं को व्यावहारिक और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य दिए जाएं।

(घ) : ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने जुलाई 2024 में सीसीटीएस के अंतर्गत अनुपालन तंत्र के लिए विस्तृत प्रक्रिया प्रकाशित की है, जिसमें सटीक, पारदर्शी और विश्वसनीय अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक मापन, रिपोर्टिंग और सत्यापन (एमआरवी) कार्यढांचे को शामिल किया गया है। एमआरवी कार्यढांचे का एक आवश्यक पहलू सत्यापन प्रक्रिया है, जिसके लिए जीएचजी उत्सर्जन आंकडों का वार्षिक सत्यापन आवश्यक है। इसके अलावा, बाध्यकारी ईकाइयों द्वारा जीईआई लक्ष्यों का अनुपालन न करने के मामले में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत पर्यावरण क्षतिपूर्ति मुआवजा लगाया जा सकता है और जुर्माना लगाया जा सकता है।

(ङ) : कार्बन बाजारों पर "प्रकृति" शीर्षक से एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन फरवरी, 2025 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसमें उद्योगों, वित्तीय संस्थानों और अन्य हितधारकों ने कार्बन बाजार, ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में कमी के उपायों, उनके द्वारा उपयुक्त उपाय अपनाने की संभावना के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकियों में निवेश के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श करने के लिए भाग लिया था।इस सम्मेलन से प्राप्त सीख से बाध्य संस्थाओं को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने के लिए इष्टतम उपाय चुनने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, इस सम्मेलन से प्राप्त सीख से सरकार को सीसीटीएस के नीतिगत ढांचे को अनुकूलित करने में भी मदद मिलेगी।

****